



# पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि०

(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)

"विद्युत भवन", नजदीक-आई०एस०बी०टी० क्रासिंग, सहारनपुर रोड़, माजरा, देहरादून-248002

कारपोरेट आईडी नं०. U40101UR2004SGC028675, फोन: 0135-2646000, फैक्स: 0135-2643460

वेबसाइट: [www.ptcul.org](http://www.ptcul.org)

## सूचना

- पिटकुल द्वारा माननीय के०वि०नि०आ०, नई दिल्ली के समक्ष 220 केवी श्रीनगर-बरमवारी लाईन [इंटरकनेक्शन बिंदु (प्रस्तावित बरमवारी-श्रीनगर 220 केवी डबल सर्किट लाइन से सिंगोली भटवारी एचईपी का) से खन्दूखाल (श्रीनगर) उपसंस्थान तक] के वित्तीय वर्ष 2019-24 की अवधि का ट्रयुइंग-अप और वित्तीय वर्ष 2019-24 के पारेषण टैरिफ निर्धारण के लिए, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 62 और 79 (1) (डी), के०वि०नि०आ० (व्यवसाय संचालन) विनियम, 2023 के विनियमन-15(1)(a) एवं 23, केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (टैरिफ के नियम और शर्तें) विनियम, 2019 और केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ के नियम और शर्तें) विनियम, 2024 के अधीन एवं माननीय केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग के याचिका संख्या 133/एमपी/2012 में निर्गत आदेश दिनांक 31 जनवरी, 2013 के तहत एक याचिका दायर की गयी है।
- पारेषण प्रणाली के लाभार्थी हैं-** पीजीसीआईएल, रिन्यू जल ऊर्जा लिमिटेड, मंदाकिनी जल ऊर्जा प्राइवेट लिमिटेड, पीएसपीसीएल, बीएसईएस यमुना पावर लिमिटेड, बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड, एनडीएमसी, जोधपुर वीवीएनएल, जयपुर वीवीएनएल, उत्तर मध्य रेलवे, चंडीगढ़ प्रशासन, अजमेर वीवीएनएल, यूपीपीसीएल, एचपीएसईबीएल, एचपीपीसी, जेकेपीसीएल, टीपीडीडीएल, यूपीसीएल, यूजेवीएन लिमिटेड।
- पारेषण प्रणाली की क्षमता:-**

पारेषण लाईन का नाम	लाईन का प्रकार एसी/एचवीडीसी	सिंगल सर्किट / डबल सर्किट	उप-कंडक्टरों का नाम	वोल्टेज स्तर (केवी)	लाईन की लम्बाई (कि०मी०)
220 केवी श्रीनगर-बरमवारी लाईन [इंटरकनेक्शन बिंदु (प्रस्तावित बरमवारी-श्रीनगर 220 केवी डबल सर्किट लाइन से सिंगोली भटवारी एचईपी का) से खन्दूखाल (श्रीनगर) उपसंस्थान तक]	एसी	डबल सर्किट	सिंगल जेबरा	220के०वी०	75.04

- परियोजना की अनुमोदित पूंजी लागत (रु लाख में):-** मूल (डीपीआर लागत) : 12962.88 (पुनर्विभाजित)  
अंतिम (संशोधित): 21189.21 (पुनर्विभाजित)  
प्राधिकरण जिसने पूंजी लागत को मंजूरी दी है: **निदेशक मंडल (पिटकुल)**
- वाणिज्यिक संचालन की निर्धारित तिथि: - 31/07/2017
- वाणिज्यिक संचालन की वास्तविक तिथि: 13/11/2020
- वाणिज्यिक संचालन की तिथि पर पूंजीगत लागत (लाख रुपये में): 15424.50
- वित्तीय वर्ष 2019-24 के लिए ट्रांसमिशन टैरिफ के ट्रयुइंग-अप का विवरण:-

पारेषण प्रणाली	वर्षवार टैरिफ निर्धारण की मांग (रु० लाख में)			
	वित्तीय वर्ष 2020-21	वित्तीय वर्ष 2021-22	वित्तीय वर्ष 2022-23	वित्तीय वर्ष 2023-24
220 केवी श्रीनगर-बरमवारी लाईन [इंटरकनेक्शन बिंदु (प्रस्तावित बरमवारी-श्रीनगर 220 केवी डबल सर्किट लाइन से सिंगोली भटवारी एचईपी का) से खन्दूखाल (श्रीनगर) उपसंस्थान तक]				
<b>पारेषण शुल्क</b>	<b>1140.43</b>	<b>2920.95</b>	<b>2902.04</b>	<b>2656.42</b>

वित्तीय वर्ष 2024-29 के लिए ट्रांसमिशन टैरिफ का विवरण:-

पारेषण प्रणाली	वर्षवार टैरिफ निर्धारण की मांग (रु० लाख में)				
	वित्तीय वर्ष 2024-25	वित्तीय वर्ष 2025-26	वित्तीय वर्ष 2026-27	वित्तीय वर्ष 2027-28	वित्तीय वर्ष 2028-29
220 केवी श्रीनगर-बरमवारी लाईन [इंटरकनेक्शन बिंदु (प्रस्तावित बरमवारी-श्रीनगर 220 केवी डबल सर्किट लाइन से सिंगोली भटवारी एचईपी का) से खन्दूखाल (श्रीनगर) उपसंस्थान तक]					
<b>पारेषण शुल्क</b>	<b>2660.51</b>	<b>2654.29</b>	<b>2571.01</b>	<b>2487.64</b>	<b>2404.70</b>

- टैरिफ के निर्धारण के लिए की गई याचिका की एक प्रति [www.ptcul.org](http://www.ptcul.org) पर आवेदक की वेबसाइट पर पोस्ट की गई है।
- याचिका में निहित टैरिफ निर्धारण के प्रस्तावों पर किसी व्यक्ति या लाभार्थियों को यदि कोई आपत्ति या सुझाव हो, तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 30 दिनों के भीतर आयोग के ई-फाइलिंग पोर्टल के माध्यम से सुझाव या आपत्ति दर्ज करा सकते हैं साथ ही उसकी एक प्रति याचिकाकर्ता को भी प्रेषित करें।

**स्थान:- देहरादून**

**दिनांक:-**

(इला चन्द्र)

मुख्य अभियन्ता (वा०एवंनिया०), पिटकुल